

-:आदेश:-

उत्तर प्रदेश कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-13/12/93-का-1-2013 दिनांक 08-05-2013 के क्रम में संस्थागत वित्त एवं कर निबन्धन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-493 / 11-3-14-125/ 03 दिनांक 23-05-2014 में दिये गये प्राविधानुसार विभागीय पदोन्नति समिति के संस्तुति के आधार पर चयन वर्ष-2024-25 की राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित वाहन चालक ग्रेड-1 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वाहन चालक विशेष ग्रेड (वेतन बैण्ड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4600/-) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है :-

क्र०सं०	ज्ये० क्र०	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	वर्तमान तैनाती स्थान
1	2	3	4	5
1-	185	श्री मेराज अहमद	मु० फारुख अहमद खॉ	मुख्यालय
2-	186	श्री राकेश कुमार	श्री छुटकन राम	मऊ
3-	188-	श्री राजेश कुमार मिश्रा	श्री रामफल मिश्रा	मुख्यालय

2- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए वाहन चालक विशेष ग्रेड के पद पर कार्यभार ग्रहण करायें ।

3- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी / सम्भागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कार्मिकों में से किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र / नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जाँच / ई०ओ०डब्ल्यू जाँच चल रही हो तो ऐसे कार्मिकों पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें ।

4- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-5 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानते हुए सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुए कार्यभार ग्रहण करायेगें और इसकी सूचना मुख्यालय को भी उपलब्ध करायेगें ।



DC (I-T)
08/10/24

2631

(सुनील कुमार वर्मा)


अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ0प0सं0 व दिनांक यथोक्त ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सम्बन्धित जोनल अपर आयुक्त, ग्रेड-1 राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 2- सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 3- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
- 4- सम्बन्धित उपायुक्त (प्रशा0) / सहायक आयुक्त (ए)/आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 5- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 6- सम्बन्धित कर्मचारियों को नाम से ।
- 7- सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका हेतु ।



(रमेश चन्द्र दुबे)

संयुक्त आयुक्त (स्था0अरा0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।